राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 72/2023

इंदू बाला परमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
2. निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर जिला अजमेर।
3. जिला कलक्टर (भू–राजस्व) डूंगरपुर जिला डूंगरपुर।
4. उपखंड अधिकारी पालदेवल डिवीजन जिला डूंगरपुर।
5. तहसीलदार तहसील कार्यालय पालदेवल जिला डूंगरपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.1.2023
आदेश की दिनांक : 25.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश जांगिड़, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबंध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

इस अपील में अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–4) को चुनौती दी है जिसके द्वारा अपीलार्थी जो पटवारी के पद पर है का स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा पटवार मंडल बोखला तहसील पालदेवल से पटवार मंडल रास्तापाल तहसील सीमलवाडा किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश दिनांक 30.09.2021 के द्वारा हुआ था। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण 14 माह बाद ही कर दिया गया जो उचित नहीं है। राजस्थान सरकार की नीति रही है कि पटवारी के स्थानांतरण दो वर्ष से पूर्व न किए जाये ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया।

माननीय उच्च्तम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर 1991 एस सी 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानांतरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया हैः—

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Goverment servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at on place or the other, he is liable to be transferred from on place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि स्थानांतरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वे अपने कर्मचारियों की सेवा किस स्थान पर प्राप्त करें। उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हमारा यह मत है कि आश्यकता होने पर पटवारी का स्थानांतरण दो वर्ष पूर्व किया जाए तो उस स्थानांतरण को तब तक प्रश्नगत नहीं किया जा सकता जब तक कोई दुर्भावना नहीं रही हो। प्रशासनिक दृष्टि से किए गए स्थानांतरण पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

स्थानांतरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है आलोच्य आदेश में विधिक रूप से कोई त्रुटि की विद्यमानता की स्थिति नहीं है। अतः इस कारण स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण इसी प्रक्रम पर एतद्वार खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 25.01.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्धोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)